

**GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE
DEPARTMENT OF HEALTH AND FAMILY WELFARE**

**LOK SABHA
UNSTARRED QUESTION NO. 1518
TO BE ANSWERED ON 10TH FEBRUARY, 2023**

EXPANSION OF CGHS

1518. SHRI PINAKI MISRA:

Will the Minister of **HEALTH AND FAMILY WELFARE** be pleased to state:

- (a) the details of the number of dispensaries approved by the Government under the CGHS Scheme, State/UT-wise including Odisha;
- (b) whether the Government plans to expand the scheme by opening more such dispensaries;
- (c) if so, the details of the proposed timeline thereof and if not, the reasons therefor;
- (d) whether there is a shortage of Ayurvedic medicines at CGHS dispensaries;
- (e) if so, the details of the steps taken to ensure adequacy of Ayurvedic medicines; and
- (f) whether the Government has received any complaints regarding malpractices, irregularities or falsification of medicines at CGHS dispensaries and if so, the details thereof and the steps taken in this regard?

**ANSWER
THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND
FAMILY WELFARE
(DR. BHARATI PRAVIN PAWAR)**

(a) to (f): The list of CGHS Wellness Centres approved – State and UT wise is annexed. Opening of new CGHS Wellness Centres at new places is decided based upon the norms, which include minimum of 6000 central government employees subject to availability of resources and sanction of new posts of staff by Department of expenditure, Ministry of Finance.

Formulary Ayurvedic medicines are available at CGHS Ayurvedic Units and medicines, which are not readily available, are procured through Authorized Local Chemist in Delhi and NCR and beneficiaries are permitted to procure such medicines and claim reimbursement.

Grievances and complaints are regularly addressed. The necessary actions for corrections are accordingly taken.

ANNEXURE

Sl. No	State / Union Territory	Allopathic Wellness Centres
1	Andhra Pradesh	6
2	Assam	7
3	Bihar	9
4	Chhattisgarh	2
5	Delhi	88
6	Goa	1
7	Gujarat	10
8	Haryana	5
9	Himachal Pradesh	1
10	Jammu & Kashmir (UT)	3
11	Jharkhand	4
12	Karnataka	11
13	Kerala	6
14	Madhya Pradesh	9
15	Maharashtra	49
16	Manipur	1
17	Meghalaya	2
18	Mizoram	1
19	Nagaland	1
20	Odisha	5
21	Punjab	2
22	Puducherry	1
23	Rajasthan	10
24	Sikkim	1
25	Tamil Nadu	16
26	Telangana	13
27	Tripura	1
28	Uttarakhand	3
29	Uttar Pradesh	46
30	West Bengal	21
31	Chandigarh (UT)	1
	Total	336

भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 1518
10 फरवरी, 2023 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

सीजीएचएस का विस्तार

1518. श्री पिनाकी मिश्रा:

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) सरकार द्वारा केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत अनुमोदित औषधालयों की संख्या का ओडिशा सहित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वार ब्यौरा क्या है;
- (ख) क्या सरकार ऐसे और अधिक औषधालय खोलकर इस योजना का विस्तार करने की योजना बना रही है;
- (ग) यदि हां, तो प्रस्तावित समय-सीमा का ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;
- (घ) क्या केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के औषधालयों में आयुर्वेदिक दवाओं की कमी है;
- (ङ) यदि हां, तो आयुर्वेदिक औषधियों की पर्याप्त सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है; और
- (च) क्या सरकार को केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालयों में दवाओं के सम्बन्ध में कदाचार, अनियमितताओं अथवा गलत दवाओं के संबंध में कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (डॉ. भारती प्रविण पवार)

(क) से (च): अनुमोदित सीजीएचएस आरोग्य केन्द्रों की राज्य और संघ राज्य क्षेत्र-वार सूची संलग्न है। नए स्थलों पर सीजीएचएस आरोग्य केंद्र खोलने का निर्णय मानदंडों पर आधारित होता है, जिसमें संसाधनों की उपलब्धता और व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा नए पदों की मंजूरी के अधीन न्यूनतम 6000 केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी शामिल हैं।

फार्मूलरी आयुर्वेदिक दवाएं सीजीएचएस आयुर्वेदिक इकाइयों पर उपलब्ध हैं और दवाएं, जो आसानी से उपलब्ध नहीं हैं, उनकी खरीद दिल्ली और एनसीआर में अधिकृत स्थानीय केमिस्ट के माध्यम से की जाती है और लाभार्थियों को ऐसी दवाओं की खरीद करने और प्रतिपूर्ति का दावा करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

परिवेदनाओं और शिकायतों का नियमित रूप से निपटान किया जाता है। तदनुसार सुधार के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाती है।

क्र सं	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	एलोपैथिक आरोग्य केंद्र
1	आंध्र प्रदेश	6
2	असम	7
3	बिहार	9
4	छत्तीसगढ़	2
5	दिल्ली	88
6	गोवा	1
7	गुजरात	10
8	हरियाणा	5
9	हिमाचल प्रदेश	1
10	जम्मू और कश्मीर (यूटी)	3
11	झारखंड	4
12	कर्नाटक	11
13	केरल	6
14	मध्य प्रदेश	9
15	महाराष्ट्र	49
16	मणिपुर	1
17	मेघालय	2
18	मिजोरम	1
19	नागालैंड	1
20	ओडिशा	5
21	पंजाब	2
22	पुदुचेरी	1
23	राजस्थान	10
24	सिक्किम	1
25	तमिलनाडु	16
26	तेलंगाना	13
27	त्रिपुरा	1
28	उत्तराखंड	3
29	उत्तर प्रदेश	46
30	पश्चिम बंगाल	21
31	चंडीगढ़ (यूटी)	1
	कुल	336
